संख्या-8/2016/614/55-पर्या-16-39(पर्या)/14टी0सी0

प्रेषक,

श्री संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊः दिनांकः 17 फरवरी, 2016

विषयः- जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) एवं जिला विशेषज्ञ आंकलन समिति (डी0ई0ए0सी0) के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 16 फरवरी, 2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में ईट भटठों को जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण एवं जिला विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेंस दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। चर्चा के दौरान जिलाधिकारियों द्वारा निम्न बिन्दु उठाये गये :-

1- नोटिफिकेशन में उल्लिखित डी0ई0ए0सी0 का सचिवालय/अभिकरण कहां स्थापित होगा तथा इस हेतु धन की व्यवस्था कहां से होगी।
2- ईट भटठों को पर्यावरणीय क्लीयरेंस से पूर्व क्या पर्यावरण संघात निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता होगी।
3- पूर्व पर्यावरण क्लीयरेंस हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण को आवेदन किसके द्वारा किया जायेगा।
4- जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण/समिति के विशेषज्ञों हेतु धन की व्यवस्था कहां से होगी।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिए गये थे कि इन सभी बिन्दुओं तथा अन्य बिन्दुओं पर जिन पर स्पष्टीरण की आवश्यकता हो, उन पर पर्यावरण तथा खनन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश अविलम्ब जारी कर दिए जायें।

जहां तक जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण/समिति के सचिवालय का प्रश्न है, चूंकि एक जनपद में औसतन 200-300 के लगभग भटठे होंगे, अतः इन पत्रावलियों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रख-रखाव करने के लिए जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण के सदस्य सचिव (जिला मुख्यालय का उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट या उप प्रभारी अधिकारी) के कार्यालय अथवा जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति के सदस्य सचिव (जिले के सहायक निदेशक या उप निदेशक या जिला खनन अधिकारी या भूगर्भविद) के कार्यालय को प्राधिकरण/समिति का सचिवालय घोषित करते हुए कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये।

जहां तक ईट भटठों को पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु पर्यावरण संघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 5 हेक्टेयर के बराबर या इससे कम क्षेत्रफल की एकल/समूह लघु खनिज योजनाओं हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है।

जहां तक खनन योजना का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 15-01-2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार खनन योजना को आर0क्यू0पी0 (रजिस्टर्ड अर्हित व्यक्ति) के द्वारा तैयार किया जाना है, जिसकी सूची **Indian Bureau of Mines** की वेबसाइट **WWW.ibm.gov.in** पर उपलब्ध है। उक्त खनन योजनाओं का अनुमोदन खनन विभाग द्वारा किया जाना है। जिसके लिए खनन विभाग को इस पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गये हैं।

पूर्व पर्यावरण क्लीयरेंस हेतु आवेदन परियोजना प्रस्ताव के द्वारा किया जायेगा तथा आवेदन हेतु अनिवार्य प्रपत्र, जैसे कि प्रारूप 1-ड, पूर्व साध्यता रिपोर्ट तथा खनन योजना रजिस्टर्ड अर्हित व्यक्ति या भारत की क्वालिटी परिषद/ राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यय बोर्ड के सलाहकारों के द्वारा तैयार किया जायेगा। जिसकी सूची पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट **WWW.moef.gov.in** एवं **Indian Bureau of Mines** की वेबसाइट **WWW.ibm.gov.in** पर उपलब्ध है।

जहां तक जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण/समिति के विशेषज्ञों हेतु धन की व्यवस्था का प्रश्न है इस हेतु जिलाधिकारियों द्वारा सरकारी विभागों/अभिकरण/संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों/विशेषज्ञों जो कि अधिसूचना दिनांक 15-01-2016 में निहित अर्हताएं रखते हों, को समिति में विशेषज्ञ के रूप में नामित करते हुए प्राधिकरण/समिति का गठन हेतु कार्यवाही पूर्ण की जाय जिससे प्रदेश की लघु खनन परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेंस निर्गत किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की जा सके।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।